भूमिका :

परिस्थितिजन्य जरूरतों के आधार पर यदि नीतियों को ठीक ढंग से विनियमित किया जाए तो सड़क के किनारे के छोटे कारोबारी आम जनता को रोजमर्रा की जरूरत के सामान अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध करा उन्हें आराम पहुंचा सकते हैं। आम आदमी जो बहुत संपन्न नहीं है काम से घर लौटने की जल्दी के बीच किसी बाजार विशेष गए बगैर अपनी जरूरत के सामान यहां से प्राप्त कर सकता है। सड़क व गलियां केवल यातायात कार्यों के लिए होती हैं किसी कार्य के लिए नहीं जैसी दलील के आधार पर पटरी कारोबारियों को संविधान के अनुच्छेद 19 जी में वर्णित व्यापार व कारोबार के अधिकार प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है।

– सुप्रीम कोर्ट, सोडान सिंह व अन्य बनाम नई दिल्ली यूनसिपल काउंसिल, 1989.

पटरी कारोबारी आमतौर पर वे लोग होते हैं जो अपनी शिक्षा व कौशल के नि न स्तर के कारण लाभकारी औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। हालांकि वे फेरी अथवा दुकानदारी जैसे स्वविकसित रोजगार के साधनों के माध्यम से हर घर विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ती व सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनके बजट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लगभग प्रत्येक शहर के पटरी व्यवसाय में महिलाओं का भी एक बड़ा वर्ग शामिल रहता है। आमतौर पर देखने में आता है कि जन प्राधिकरण अधिकारी पटरी व्यवसायियों द्वारा आम आदमी की की जाने वाली सेवाओं को अनदेखा करते हुए इन्हें अक्सर यातायात में बाधा व पटरियों पर अतिक्रमण करने वालों के तौर पर लेते हैं। पटरी व्यवसायी आमजन को दैनिक जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध कराकर शहरी फुटकर व्यापार व वितरण प्रणाली के जरूरी व तर्कसंगत हिस्से का गठन करते हैं। केंद्र सरकार ने पटरी व्यवसायियों द्वारा आमजन को आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराने की इन सकारात्मक भूमिकाओं को देखते हुए पहली बार वर्ष 2004 में व उसके बाद वर्ष 2009 में शहरी पटरी विक्रेताओं के संबंध में राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया।

नीतियों की कुछ प्रमुख बातें :

1– नागरिकों के कानून के समक्ष समानता व रोजगार का अधिकार को प्रतिबिंबित करना।

2– शहरी व कस्बाई स्तर पर निगम आयुक्त अथवा स्थानीय निकाय के मु य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता सहित सरकार द्वारा निर्धारित सं या वाले टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करना जिसमें सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, पुलिस, पटरी विक्रेताओं के संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, सामुदायिक संगठनों (सीबीओ) व अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों जैसे एनजीओ, पेशेवर समूहों के सदस्यों, व्यापार व वाणिज्य प्रतिनिधियों, बैंको व गणमान्य नागरिकों का प्रतिनिधित्व शामिल हो।

3– शहर अथवा कस्बे की सड़कों के किनारे व्यवसाय करने की इच्छा रखने वालों के टीवीसी के तहत पंजीकरण कराने में किसी भी प्रकार की समय व सं या सीमा निर्धारित न करना।

4- राजस्व संग्रह के उद्देश्य से ऐसे विक्रेताओं की फोटो जनगणना, पंजीकरण, नव प्रवेश, पहचान पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क वसूलना।

5- पटरी व्यवसायियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए नवीनीकृत सुविधा वाले अस्थाई पहचान पत्र तत्काल उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि वे तुरंत आय का जरिया प्राप्त कर सकें।

6- सार्वजनिक मैदानों, परेड ग्राउंडों, धार्मिक त्यौहारों को मनाने वाले स्थलों पर साप्ताहिक बाजारों तथा शहर के व्यस्ततम नियमित बाजारों के बंद होने के बाद रात्रिकालीन बाजारों को बढ़ावा देना।

7- सभी शहरों, कस्बों के मास्टर प्लान में नए वेंडिंग बाजारों के निर्माण का प्रावधान करना।

8- पटरी व्यवसाय के आदर्श कानून के तहत कानूनी ढांचे का विकास।

9- कानूनी स्थिति, नागरिक सुविधाएं, पारदर्शी नियमन, विक्रेताओं के संगठन, सहभागिता प्रक्रिया व संगठनों के स्वनियमन पर जोर।

10- स्थानिक योजनाओं में सड़क विक्रेताओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति को शामिल करना।

11- नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित बाजारों में अलग समय पर अस्थाई पटरी बाजार के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाना।

12- निगम अधिकारियों द्वारा वेंडिंग जोन, वेंडिंग मार्केट में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना।

13- पटरी व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय हेतु प्रयुक्त स्थान के दुष्प्रयोग जैसी समस्या के समाधान के लिए सामूहिक रूप से व्यवस्था करने की सलाह देना।

14- पंजीकृत व्यवसायियों के स्थानांतरण की दशा में नए स्थान पर पर्याप्त मुआवजा, आरक्षण आदि की व्यवस्था करना।

15- जब्त माल को तय समय के भीतर निश्चित शुल्क अदा करने के बाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना।

16- पटरी व्यवसायियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण, क्रेडिट व बीमा, सामाजिक सुरक्षा, स्थान व स्टाल आदि का आवंटन, बाल विक्रेताओं का पुर्नवास व बीमा तथा विक्रेता संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देना।

17- नीति लागू होने के तत्काल बाद एक वर्ष के भीतर नगर निगम प्राधिकरण द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन व बाद में स्थानीय स्तर पर पटरी व्यवसायियों के लिए राष्ट्रीय नीति के लिए कार्य योजना तैयार करवाना।

18- राज्य सरकार, निगम प्राधिकरण द्वारा पटरी व्यवसायियों का मजबूत डेटाबेस और सूचना प्रणाली विकसित करवाना।

19- शहर, कस्बे, वार्ड व स्थानीय स्तर पर पर नीतियों को लागू करने व इसकी निगरानी के साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए टीवीसी को जवाबदेह बनाना।

20- अभियान के संचालन के लिए टीवीसी की पंजीकरण शुल्क में हिस्सेदारी व नगर निगम प्राधिकरण से न्यूनतम अनुदान सुनिश्चित कराना।

चर्चा व वाद विवाद के पक्ष :

1- पटरी व्यवसायियों स्थान उपलब्ध कराने की नीति गत पांच वर्ष के विकास दर व उनकी वर्तमान सं या, प्रस्तावित विकास व वहां आने वाले ग्राहकों की औसत सं या पर आधारित है।

2- सभी स्थानों के भू प्रयोग की क्षमता निधारित है व वेंडरों द्वारा उपयोग की समय सीमा है।

3- भारत सरकार शहर व कस्बों में पटरी व्यवसायियों को सुविधा उपलब्ध कराने व नियमित करने के लिए आदर्श कानून विकसित कर सकता है।

4- केंद्र सरकार पटरी व्यवसायियों की समस्याओं का अध्ययन व इससे निपटने के यथार्थवादी समाधान के लिए व्यवसायिक संस्थानों की सहायता कर सकती है।

5- शहर अथवा कस्बे के सभी वेंडरों का पंजीकरण मामूली शुल्क पर होना चाहिए।

6- एक व्यक्ति एक ही वेंडिंग स्थल के लिए पंजीकृत होना चाहिए और उसे इसे किराए पर देने अथवा बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

7- वेंडर बाजारों में स्थान समय रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपलब्ध कराने लायक बनाए जाने चाहिए।

8- भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाले स्थान, भूमि व गाड़ियों को इस नीतियों से दूर रखना चाहिए।

9- स्टेशनरी विक्रेताओं को पूछताछ के बाद दस वर्ष के लिए लाइसेंस आधारित प्रवेश देना चाहिए जिसका एक बार दस वर्ष के लिए विस्तार होना चाहिए।

10- इस नीति का सुझाव है कि सड़क विक्रेता संघों के प्रतिनिधियों की टीवीसी में हिस्सेदारी 4० फीसद होगी जबकि तीन अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व 2०-2० फीसद का होगा।